कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतमबुद्धनगर

पत्रांक /मान्यता / 4672 /2013–14 दिनांक 19.02.14

प्रबन्धक,

रेडिएन्ट अकादमी जूनियर हाई स्कूल

सोहरखा ब्लाक बिसरख

जनपद गौतमबुद्धनगर

विषय–निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के निमम 15 उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 30..08.2013 के आवेदन और इस सम्बन्ध मे विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से,मै उपरोक्त विद्यालय को तारीख 01.07.2014 से तारीख 30.06.2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा नर्सरी से कक्षा आठ तक के लिये अग्रेजी माध्यम की अनंतिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्याधीन है–

1.मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमे किसी भी रूप से कक्षा 08 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई मान्यता विवक्षित नही है।

2.विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम–2010 (उपाबन्ध 2)के उपबंधो का पालन करेगा।

3.विद्यलय कक्षा 1 मे (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा मे) उस कक्षा मे बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पडौस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक,उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4.पैरा 3 मे निर्दिष्ट बालको के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैक खाता रखेगा।

5.सोसाईटी/विद्यालय किसी केपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिग प्रकिया के अध्यधीन नही करेगा।

6.विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा–

Certified

For Radiant Academy Jr. High School

Rakesh Kumar Sue

Manager

i. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय मे उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा मे फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।

ii. किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जायेगा।

iii. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी।

iv.प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

v.अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओ वाले विद्यार्थियो को प्रवेश दिया जाना ।

vi.अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओ के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताए नही है पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताए अर्जित करेगें।

vii.अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यो को पालन करता है और

viii.अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलानो मे नियोजित नही करेगें।

7.विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।

8.विद्यालय अधिनियम की धारा 19 मे यथाविनिर्दिष्ट विद्यालयो के मानको और सनियमो को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपार्ट की गई प्रसुविधाए निम्नानुसार है:—

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	1500 मीटर
कुल निर्मित क्षेत्रफल	1200 मीटर
कीडा स्थल का क्षेत्रफल	**शेष कीडा स्थल**
कक्षो की संख्या	18
प्राध्यापक—सहकार्यालय—सहभंडागार के लिये कक्ष	02
बालक और बालिकाओ के लिये पृथक शौचालय	**उपलब्ध है।**
पेयजल सुविधा	**उपलब्ध है।**
मिड—डे—मील पकाने के लिये रसोई	**उपलब्ध है।**
बाधारहित पहुॅच	**है।**

अध्यापक पठन सामग्री/कीडा खेलकूल उपस्करो/पुस्तकालय की उपलब्धता —है।

9.विद्यालय के परिसरो के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाए नही चलायी जायेगी।

10.विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओ या कीडा—स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनो के लिये किया जाता है।

For Radiant Academy Jr. High School

Manager

11.विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12.स्कूल को किसी व्यष्टि,व्यष्टियो के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियो के लाभ के लिये नही चलाया जा रहा है।

13.विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमो के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14.आपके विद्यालयों को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक G JHS-65 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्याक का उल्लेख करें।

15.विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थनीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्ता सम्बन्धी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने वाले या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किए जाये।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये तथा प्रति छात्र/छात्राओ के बैठने हेतु 09 वर्ग फीट का स्थान निर्धारित करे।

17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

For Radiant Academy Jr. High School

Manager